मध्य प्रदेश शासन,
पशुपालन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक 1967/गौ. सं बो./2019-20 भोपाल, दिनांक 15/11/2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला ....(समस्त) मध्यप्रदेश

विषयः– गौशालाओं के गौवंश हेतु गेंहू के भूसे की दरों के निर्धारण बाबत।

प्रदेश में मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड अंतर्गत पंजीकृत गौशालाएं जो समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित एवं "मुख्यमंत्री गौसेवा योजना" अंतर्गत मनरेगा से निर्माणाधीन गौशालाओं के गौवंश के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा गौशाला के गौवंश के चारे के लिए रू. 20/– प्रति गौवंश प्रति दिवस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से रू. 15/– प्रतिदिवस, प्रति गौवंश चारे के लिए एवं शेष राशि रू. 5/– प्रति दिवस, प्रति गौवंश म.प्र. राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित का सुदाना गौशालाओं द्वारा क्रय किया जा सकेगा।

गौशाला संचालकों द्वारा गेंहू के भूसे के क्रय के लिए, जिला स्तर पर दर का निर्धारण कराया जाना आवश्यक है। चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के शेष माह माह नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की कुल चार माह की अवधि हेतु भूसा क्रय की दर निर्धारित की जावे तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए भी जिला स्तर पर भूसे की दर का निर्धारण किया जाए एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई दर को गौशाला संचालकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इस संबंध में कार्यवाही कर मुझे अवगत कराया जाए।

उपसंचालक
गो.सं.व. बोर्ड
20/11/19

(मनोज श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पशु पालन विभाग

डॉ० दाते
21/11/2019

पृ.क. 1968–1972/गौ. सं. बो./2019-20 भोपाल, दिनांक 15/11/2019

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, नर्मदा भवन, भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत– समस्त, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, पशु पालन, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, संभाग– समस्त, मध्यप्रदेश।
5. उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला – समस्त, मध्यप्रदेश।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पशु पालन विभाग

क्र. 1148
दि. 21/11/19
भोपाल